-::निर्णय::-

दिनांक 29.09.2025

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार यह है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी कृषि भूमि चक 2 ए एम खाता संख्या 71/61 प0 नं0 185/386 मुरबा नं0 05 किला नम्बर 8 प0 नं0 185/387 मुरबा नं0 6 किला नम्बर 11, 2,0, 21/2 कुल 0.9870 कमाण्ड अनकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी चक 2 ए एम खाता संख्या 71/61 सम्वत 2075-2078 सलंग्न है।

यह कि अप्रार्थी सं0 1 के नाम चक नम्बर 2 ए.एम खाता संख्या 12/15 प0नं0 183/388 मुरबा नं0 13 किला नम्बर 5, 6, 15, 18, 23 प0नं0 185/386 मुरबा नं0 5 किला नम्बर 3, 20, 21 प0नं0 185/387 मुरबा नं0 6 किला नम्बर 1, 10 कुल 2.5300 है0 कमाण्ड अनकमाण्ड दर्ज है। नकल जमाबंदी चक 2 ए एम खाता संख्या 12/15 सम्वत 2075-78 सलंग्न है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 2 ए एम
प0 नं0 185/386 मुरबा नं0 5 किला नम्बर 8 मे प्रवेश हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता नही है
प्रार्थी हमेशा से अप्रार्थी सं0 1 की भूमि चक 2 ए एम प0 नं0 185/386 मुरबा नं0 5 किला
नम्बर 3 की पश्चिमी सींव पर उत्तर से दक्षिण रास्ता से आवागमन करता है जो मौका पर चालू है
यह रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि मे से होकर आता जाता है तथा तथा इस
रास्ता की भूमि के बदले मे नगद राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 को कर दिया था। परन्तु रास्ता
स्वीकृत नही होने से वैधानिक अवरोध है। इसलिए प्रार्थी चक 2 ए एम प0नं0 185/386 मुरबा नं0
5 किला नम्बर 3 की पश्चिमी सींव पर उत्तर से दक्षिण 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत करवाने का
अधिकारी है।

यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को कई दफा कहा कि उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज
करवा दे पहले तो वे आज कल आज कल कहकर टाल मटोल करते रहे परन्तु दिनांक 5-09-2025
को मुकाम भोमपुरा मे वह कतई इन्कार हो गये यही वाद कारण है।

यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है तथा पूर्ण कोर्ट
फीस पर प्रस्तुत है व अंदर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 2 ए एम प0नं0 185/386 मुरबा नं0 5
किला नम्बर 3 की पश्चिमी सींव पर उत्तर से दक्षिण 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड
मे दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

(3)

« प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी की ओर से ा श्री मदनलाल मूण्ड ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में जबाब का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में कोई विरोध होना प्रतीत नहीं होता जस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ. क या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के ारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।

2 वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

3 नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली का वलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी को पनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (I) एवं ाजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही है। कानुनन स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी जोत तक पहुचने हेतु सबसे निकट्तम रास्ता स्वीकृत होना चाहिए तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी को पहुच हेतु सबसे रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:<u>क्रिन्याविति आदेश</u>:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 2 ए एम प0 नं0 185/386 मुरबा नं0 5 किला नम्बर 3 की पश्चिमी सींव पर उत्तर से दक्षिण 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्धा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ